कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून— 248001

फोन न0 (0135) — 2713551 फैक्स न0 (0135) — 2713724

संख्याः । १८५५ / XXV-10 / 2023 देहरादून : दिनांक 🔊 अगस्त, 2023

सेवा में,

अपर निदेशक,

राजकीय मुद्रणालय, रूड़की,

हरिद्वार।

विषय:--

उत्तराखण्ड राज्य की 47—बागेश्वर (अ०जा०) विधान सभा के लिए उप निर्वाचन, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना को राज्य के असाधारण गजट में प्रकाशन हेत् प्रेषण।

महोदय,

उपरोक्त विषयक भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या—100/ECI/UKD-LA/2/2023/NS-II दिनांक 09 अगस्त 2023 के साथ संलग्न अधिसूचना दिनांक 10 अगस्त 2023 की हिन्दी एवं अंग्रेजी की प्रतियां संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही हैं कि आयोग द्वारा जारी अधिसूचना को उत्तराखण्ड राज्य के शासकीय राजपत्र के असाधारण अंक में दिनांक 10 अगस्त 2023 को प्रकाशित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः आयोग की उक्त अधिसूचना को राज्य के शासकीय राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित कराते हुए प्रकाशित गजट की 25—25 (पच्चीस) प्रतियां यथाशीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक- यथोपरि।

भवदीय,

ह्री. hm (डॉ० वी०षणमुमम) मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

पृ०संख्या /2*55* / XXV-10 / 2023, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, बागेश्वर को आयोग के उपरोक्त वर्णित पत्र संख्या—100/ECI/UKD-LA/2/2023/NS-II दिनांक 09 अगस्त 2023 के साथ संलग्न अधिसूचना दिनांक 10 अगस्त 2023 की हिन्दी एवं अंग्रेजी की प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक- यथोपरि।

भ्री कि (डॉ० वी०षणमुग्रमी) मुख्य निर्वाचन अधिकारी।



भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय SECRETARIAT OF THE ELECTION COMMISSION OF INDIA

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001 Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001.

No.100/ECI/ UKD-LA/2/2023/NS-II

Dated: 09.08.2023

To

The Chief Electoral Officer, Uttarakhand, Dehradun

Subject: Bye-election from 47-Bageshwar (SC) Assembly Constituency in the State of Uttarakhand – Notification regarding.

Sir,

I am directed to state that the Commission has announced on 08th August, 2023 the schedule for holding the bye-election to fill the vacancy from 47-Bageshwar (SC) Assembly Constituency caused due to death of Shri Chandan Ram Das.

- 2. In this connection, I am directed to forward herewith, in advance, Commission's Notification No. 100/ECI/UKD-LA/2/2023/NS-II, dated 10th August, 2023 and to request that necessary arrangements may kindly be made for its publication in an extraordinary issue of State Gazette on dated 10th August, 2023.
- 3. Six copies containing the above mentioned notification may kindly be forwarded to the Commission as soon as it is published.
- 4. The hours of poll will be from 7.00 AM to 5.00 PM.
- 5. The Counting of votes will be at 8.00AM on 10.09.2023.
- 6. The receipt of this letter together with its enclosures may kindly be acknowledged.

Yours faithfully,

(K.P. SINGH UNDER SECRETARY ELECTION COMMISSION OF INDIA



भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय SECRETARIAT OF THE ELECTION COMMISSION OF INDIA

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001 Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001.

> दिनांकः 10 अगस्त, 2023 19 श्रावण, 1945 (शक)

अधिसूचना

सं0 100/भा0नि0आ0/उत्तरा0-वि0स0/2/2023/उ0अनु0-2: यतः, उत्तराखण्ड राज्य में **47-बागेश्वर (अ.जा.)** विधान सभा निर्वाचन—क्षेत्र से निर्वाचित, श्री चन्दन राम दास के आकस्मिक निधन होने के परिणामस्वरूप दिनांक 26 अप्रैल, 2023 से रिक्त हो गया है; और

- 2. यतः, इस प्रकार उत्पन्न रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन कराया जाना है;
- 3. यतः, अब, लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 150 की उपधारा (1) एवं धारा 30 और 56 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग, एतद द्वारा:—
- (अ) उत्तराखण्ड राज्य विधानसभा में 47—बागेश्वर (अ.जा.) विधानसभा निर्वाचन—क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि वह 10 सितम्बर, 2023 (रविवार) से पूर्व और उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के उपबन्धों के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य विधानसभा में उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक व्यक्ति को निर्वाचित कर दे:,
- (आ) उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में

(ক)	नाम	निर्देशन	करने	की	अन्तिम	तारीख

(ख) नाम निर्देशनों की संवीक्षा की तारीख

(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख

(घ) वह तारीख, जिसको यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा

(ड) वह तारीख जिसके पूर्व निर्वाचन सम्पन्न कर लिया जाएगा

17 अगस्त, 2023 (बृहस्पतिवार)

18 अगस्त, 2023 (शुक्रवार)

21 अगस्त, 2023 (सोमवार)

05 सितम्बर, 2023 (मंगलवार)

10 सितम्बर, 2023 (रविवार)

नियत करता है;, और

(इ) **7.00 बजे पूर्वाहन से 5.00 बजे अपराह**न तक का समय, ऐसे समय के रूप में नियत करता है, जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ ते निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

आदेश से, (राहुल शर्मा) प्रधान सचिव भारत निर्वाचन आयोग



भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय SECRETARIAT OF THE ELECTION COMMISSION OF INDIA

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001 Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001.

> Date: 10th August, 2023 19, Sravana, 1945 (Saka)

NOTIFICATION

No. 100/ECI/UKD-LA/2/2023/NS-II: - WHEREAS, the seat of Shri Chandan Ram Das in the Legislative Assembly of the Uttarakhand state, elected from 47-Bageshwar (SC), has become vacant on 26th April, 2023 by the reason of his death; and

- 2. WHEREAS, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;
- 3. **NOW** THEREFORE, in pursuance of sub-section (1) of section 150, and section 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby: -
- (A) Calls upon the said 47-Bageshwar (SC) Assembly Constituency in the State of Uttarakhand, to elect, before 10th September,2023 (Sunday) and in accordance with the provision of the said act and of the rules and order made thereunder, a person for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the Uttarakhand state;
- (B) Appoints, with respect to the said election: -
 - (a) The 17th August, 2023 (Thursday), as the last date for making nominations;
 - (b) The 18th August, 2023 (Friday), as the date for the scrutiny of nominations;
 - (c) The 21st August, 2023 (Monday), as the last date for withdrawal of candidatures;
 - (d) The 05th September, 2023 (Tuesday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken up; and
 - (e) The 10th September, 2023 (Sunday), as the date before which the election shall be completed; and
- (C) Fixes the hours from 7.00 AM to 5.00 PM, as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above for the election.

By order,



(RAHUL SHARMA)
PRINCIPAL SECRETARY
ELECTION COMMISSION OF INDIA